फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल

श्री कालू पुत्र मांगू खारोल निवासी चॉदरास तह. माण्डल जिला भीलवाड़ा वगैरहा

बनाम

श्री मांगू पुत्र मोडा खारोल निवासी चॉदरास तह. माण्डल जिला भीलवाड़ा वगैरहा

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र   मुकदमा नम्बर 211 सन 2018

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2018	प्रकरण प्रस्तुत पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील प्रार्थीगणों की बहस सुनी गई कि ग्राम चॉदरास पटवार हलका चॉदरास तह. माण्डल के आराजी 1041/2, 1042/2 1043/1 कुल किता 3 रकबा 1.13 बीघा भूमि पुश्तैनी होने से उनका हक व हिस्सा निहित है। इसी आधार पर प्रार्थीगणों व विपक्षी संख्या 01 सभी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है । परन्तु विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थीगणों को उनके हिस्से से महरूम करने की गरज से विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में रजिस्ट्री करा दी तथा शक्ति के बल पर प्रार्थीगणो को उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। अतः विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि प्रार्थीगणों को उनकी आराजियात से बदेखल नहीं करे तथा रेकार्ड़ एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगणों की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थीगणों के पक्ष का है। यदि प्रार्थीगणों को उसके हक हिस्से से बेदखल- किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम चॉदरास पटवार हलका चॉदरास तह. माण्डल के आराजी 1041/2, 1042/2 1043/1 कुल किता 3 रकबा 1.13 बीघा भूमि के मौके व रेकार्ड़ की यथास्थिति रखने हेतु विपक्षीगणों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तारीख 23.10.2018 तक जारी की जाती है। हुकम इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करे। पत्रावली दिनांक 23.10.2018 को पेश हो। [signature] **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**	
30.8.18	वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली मिसल से तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि हमारे दोनो पक्षो के बीच राजीनामा हो चुका है। अत वादी प्रार्थनापत्र मे आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसी कारण प्रार्थना पत्र इसी	कालू [handwritten note, signature] 30/8/18

स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा प्रार्थना पत्र की तथ्य पर मनन किया गया, ज्ञापित के वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में आपसी राजीनामा हो जाने से तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पत्र केशाहा संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा